न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 7/2022
दायर दिनांक : 22.04.2022
निर्णय दिनांक : 22.05.2024

उनवान

1. गोवर्धनसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता मांगू खटीक निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. चुन्नीलाल पिता मांगू जाति खटीक निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. बाबूलाल पिता मांगू खटीक निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजकुमार लढा, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि मौजा कांकरवा पटवार हल्का, कांकरवा में प्रार्थी की खातेदारी की आ.सं. 4526 रकबा 0.83 है., आ.सं. 4765 रकबा 0.80 है. किता 2 रकबा 1.63 है. भूमि है, सबूत में जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात पर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाने वाली सड़क से आ.सं. 4523 की दक्षिणी दिशा से होकर अपनी खातेदारी की आराजियात में प्रवेश करता है तथा प्रार्थी ने अब पूर्व खातेदार आ. सं. 4526 को सोहनकुंवर से खरीदा उस समय भी इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे थे और वर्तमान में भी प्रार्थी व उसके परिवारजन, सिजारी अपनी खातेदारी की आराजियात में जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग कर रहा है तथा खाली भरी बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि इसी रास्ते से बिना रोक टोक आ जा रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी को हैरान परेशान कर रहे है जिस कारण प्रार्थी की आराजियात में जाने के लिऐ रास्ता दर्ज कराया जाना आवश्यक है। दिनांक 02.04.2022 को प्रार्थी बाहर गांव गया था तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आराजियात पर जाने वाले रास्ते पर तार जाली लगाकर रास्ता बंद कर दिया, प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात आराजी नं. 4526 पर जाने के लिऐ इस रास्ते के सिवाय अन्य कोई रास्ता वर्तमान में नहीं है। प्रार्थी की फसल खेत में पड़ी है, अप्रार्थीगण अपनी दादागिरी व ताकत के बल पर प्रार्थी की आराजियात पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, प्रार्थी को फसल काश्त करने में परेशानी हो रही है। खातेदार नानीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिस अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 हैं। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। मुझ प्रार्थी के द्वारा दिनांक 03.04.2022 को प्रार्थी को रास्ता खोलने के लिऐ कहा तो अप्रार्थीगण ने लडाई झगडा किया प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 03.04.22 से पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः निवेदन है अप्रार्थीगण की आ.सं. 4523 की दक्षिण दिशा की मेड पर 30 फीटर चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के लिये डी.एल.सी. दर या श्रीमान के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
2. प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। राजपेरोकार भूपालसागर द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।

3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम कांकरवा के आ.सं. 4526 रकबा 0.83 है. एवं आ.सं. 4765 रकबा 0.80 है. पर आने जाने के लिये आ.सं. 4523 में से रास्ता चाहा है। आ.सं. 4526 रकबा 0.83 है. प्रार्थी श्री गोवर्धनसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत के नाम दर्ज है। उक्त भूमि स्टेट हाईवे एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि के बीच में आ.सं. 4523 श्री चुन्नीलाल पिता मांगू, नानीबाई पत्नी मांगू, बाबूलाल पुत्र मांगू एवं लक्ष्मण पुत्र मांगू खटीक के नाम दर्ज है। जिसमें से वादी द्वारा लम्बाई 14 मीटर व चौड़ाई 14 मीटर कुल 196 वर्गमीटर भूमि का रास्ता चाहा गया है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी के बीच विवाद हो गया है, जिससे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तथा आ.सं. 4765 रकबा 0.80 है. के आ.सं. 4523 से रास्ता चाहा है। यह आराजी 4765 से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, इन दोनों आराजी के बीच अप्रार्थी के अलावा अन्य खातेदारान की भूमि स्थित है। आ.स. 4526 के लिऐ प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा है, जो प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 12,61,399 रूपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते वाली भूमि की कीमत 196 वर्गमीटर की 24,724/ रूपये बनती है।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी में जाने हेतु उक्त भूमि में से रास्ता दिये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

5. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

पर्चा मौका संलग्न है।

6. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

–रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर कमांक 374 दिनांक 10.04.23 संलग्न है।

7. सहमति नहीं होने की स्थिति में लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौड़ाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आ.सं. 4523 में से 14x14= 196 वर्गमीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित की है। वर्तमान डी.एल.सी. दर 12,61,399 रूपये प्रति है0 से रकबा 196 वर्गमीटर की मालियत 24,724 रूपये बनती है। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 49,448/ रूपये होती है।

तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाने के लिये उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 4526, 4765 है। प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने, हेतु आ0 स0 4523 में से रास्ता चाहा हैं। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 4526, 4765 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 4523 में से 14x14= 196 वर्गमीटर है, जिसका जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2023 संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 12,61,399 रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 196 वर्गमीटर की कुल मालियत 24,724 रूपये का दुगुना 49,448/ रूपये अक्षरे राशि उनपचास हजार चार सौ अडतालीस रुप्ये प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गोलड़ा),
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर